दुर्गा दास बसु

भारत का संविधान

एक परिचय

साँतवा संस्करण
पुनःमुद्रण दिसंबर, 2001

आचार्य डा़ दुर्गा दास बसु

भारत के संविधान में ७८वें संशोधन तक किए गए परिवर्तन इसमें समाविष्ट हैं।

वाधवा एण्ड कम्पनी
नागपुर

Scanned by TapScanner

विषय सूची

भाग 1
संविधान की प्रकृति

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 3-13

ऐतिहासिक सिंहावलोकन की उपयोगिता, 3
भारत शासन अधिनियम, 1858, 3
भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861, 4
भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892, 4
मोर्ले-मिंटो सुधार और भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909, 5
मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन और भारत शासन अधिनियम, 1919, 5
1919 के अधिनियम द्वारा अपनाई गई प्रणाली के मुख्य लक्षण, 6
1919 के अधिनियम की कमियां, 7
साइमन आयोग, 8
सांप्रदायिक अधिनिर्णय, 8
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा लाए गए परिवर्तन, 11

2. संविधान का निर्माण 14-19

संविधान सभा द्वारा विरचित संविधान की मांग, 14
क्रिप्स मिशन, 14
मंत्रिमंडल का प्रतिनिधिमंडल, 15
सम्राट का 9 दिसंबर, 1946 का कथन, 15
20 फरवरी, 1947 का ब्रिटिश सरकार का कथन, 16
ब्रिटिश सरकार का 3 जून, 1947 का कथन, 16
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947, 17
भारत की संविधान सभा, 18
संविधान का पारित किया जाना, 18
संविधान के प्रारम्भ की तारीख, 19

3. संविधान का दर्शन 20-31

उद्देश्य-संकल्प, 20
उद्देशिका, 20
स्वतंत्र और प्रभुतासंपन्न, 21
गणराज्य, 21
प्रभुत्व संपन्नता राष्ट्रकुल की सदस्यता से असंगत नहीं है, 21
अंतरराष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि, 22
लोकतंत्र, 23
प्रातिनिधिक लोकतंत्र, 23
जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन, 23
राजनैतिक न्याय, 23
लोकतांत्रिक समाज, 24
आर्थिक न्याय, 25

Scanned by TapScanner

स्वतंत्रता, 25
समानता, 25
समाजवादी संरचना से समाजवाद की ओर, 25
1976 का 42वां संशोधन, 26
राष्ट्र की एकता और अखंडता की आवश्यकता, 26
बंधुता, 27
पंथ निरपेक्ष राज्य जो सभी धर्मों की स्वतंत्रता प्रत्याभूत करता है, 27
1976 का 42वां संशोधन, 27
व्यक्ति की गरिमा, 28
मूल अधिकार, 28

4. हमारे संविधान के विशिष्ट लक्षण 32-50

विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा, 32
अनेकों संशोधनों द्वारा अनुपूरित और 42वें, 43वें और 44वें संशोधन द्वारा 1976-78 में पुनः निर्मित, 32
सबसे लम्बा संविधान, 33
विभिन्न संविधानों के संचित अनुभवों का समावेश, 33
विस्तृत प्रशासनिक उपबंध भी सम्मिलित किए गए हैं, 33
समस्याओं का अनोखा होना, 34
इकाइयों के संविधान भी सम्मिलित हैं, 34
जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष उपबंध, 34
नागालैंड, सिक्किम आदि, 34
परिसंघीय संबंधों पर विस्तार से विचार, 35
प्रवर्तनीय और अप्रवर्तनीय दोनों प्रकार के अधिकार सम्मिलित किए गए हैं । मूल अधिकार, निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य, 35
लचीला अधिक, कठोर कम, 35
संविधान का अनुपूरक विधायन, 36
लिखित संविधान और संसदीय प्रभुता की संगति, 37
संविधान में अभिसमयों की भूमिका, 38
मूल अधिकार और सांविधानिक उपचार, 38
न्यायिक पुनर्विलोकन से संविधान का विधिकतावादी हो जाना, 39
न्यायिक पुनर्विलोकन और संसदीय सर्वोच्चता के बीच समझौता, 40
मूल अधिकार विधान मंडल द्वारा युक्तियुक्त विनियमन के अधीन, 42
सामाजिक समानता भी संविधान द्वारा प्रत्याभूत, 42
मूल अधिकारों पर मूल कर्तव्यों द्वारा रोक, 42
1976 का 42वां संशोधन, 42
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के बिना सार्वजनिक मताधिकार, 43
संसदीय शासन के साथ निर्वाचित राष्ट्रपति का संयोजन, 44
1976 का 42वां संशोधन, 44
1978 का 44वां संशोधन, 45
ऐकिकता की ओर उन्मुख परिसंघ प्रणाली, 45
देशी रियासतों का विलय, 45
ब्रिटिश सम्राट के अधीन देशी रियासतों की प्रास्थिति, 45
परमोच्च शक्ति के अनुषंग, 46
भारत शासन अधिनियम, 1935 द्वारा प्रस्तावित परिसंघ स्कीम में देशी रियासतों का स्थान, 46
मंत्रिमंडलीय मिशन के प्रस्ताव, 46
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अधीन परमोच्चता की समाप्ति, 47

Scanned by TapScanner

एकीकरण और विलय, 47
राज्यों का पुनर्गठन, 49
संविधान के अतिविशिष्ट और आधारभूत लक्षण, 49

5. परिसंघात्मक प्रणाली 51-66
भारत, राज्यों का संघ, 51
आधुनिक विश्व के विभिन्न प्रकार के परिसंघ संविधान, 51
भारत का संविधान आधारत परिसंघीय, कुछ लक्षण ऐकिक, 52
परिसंघीय राज्य व्यवस्था के आवश्यक तत्व, 52
भारतीय परिसंघीयता की विशेषताएं, 53
भारत शासन अधिनियम, 1935 द्वारा परिकल्पित परिसंघ, 54
संविदा या करार का परिणाम नहीं, 54
कश्मीर को छोड़कर कोई राज्य अपना संविधान नहीं बना सकता, 55
विलग होने का अधिकार नहीं, 56
संघ की संसद् द्वारा सीमाओं के परिवर्तन के लिए राज्य की सम्मति आवश्यक नहीं, 56
राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, 57
सिक्किम की प्रास्थिति, 57
दोहरी नागरिकता का अभाव, 58
लोकसेवाओं का विभाजन नहीं, 58
न्यायपालिकाओं की द्वैध प्रणाली नहीं, 58
सामान्य समय में संघ का नियंत्रण, 59
प्रबल केंद्रीय अभिनति (झुकाव), 59
परिसंघ प्रणाली की समीक्षा, 60
भारत में क्रियाशील परिसंघ, 61
न्यायिक निर्वचन में भारत परिसंघ, 62
भारत में परिसंघ का बने रहना, 63
सरकारिया आयोग, 64
निष्कर्ष, 64

6. संघ का राज्यक्षेत्र 67-73
संघ का नाम, 67
भारत का राज्यक्षेत्र, 67
सिक्किम, एक नया राज्य, 68
35वां संशोधन, 68
36वां संशोधन, 69
नए राज्यों की रचना और सीमाओं में परिवर्तन आदि, 69
राज्यों के पुनर्गठन के लिए प्रक्रिया, 71

7. नागरिकता 74-78
नागरिकता का अर्थ, 74
भारत के नागरिकों के सांविधानिक अधिकार और विशेषाधिकार, 74
भारत में नागरिकता का सांविधानिक और कानूनी आधार, 74
अ. वे व्यक्ति जो 26 जनवरी, 1950 को नागरिक हो गए, 75
आ. 26 जनवरी, 1950 के पश्चात् नागरिकता का अर्जन, 76
भारतीय नागरिकता का पर्यवसान, 76
भारत में इकहरी नागरिकता, 77

8. मूल अधिकार और मूल कर्तव्य 79-140
व्यक्ति के अधिकार और मूल अधिकार, 79

Scanned by TapScanner

इग्लैंड में स्थिति, 79
अमेरिका में अधिकार पत्र, 79
भारत में मूल अधिकारों की मांग का इतिहास, 80
न्यायालयों को यह शक्ति है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों
को शून्य घोषित करे, 80
भारत के संविधान के अधीन मूल अधिकारों का अमेरिकी अधिकार विधेयक से विभेद, 81
44वां संशोधन अधिनियम, 1978 : संपत्ति का अधिकार, 81
मूल अधिकारों के अपवाद, 82
मूल कर्तव्य, 82
भाग 3 में मूल अधिकारों की सूची निःशेषकारी है, 83
संविधान के अन्य उपबंधों से मिलने वाले अधिकार, 83
मूल अधिकार और संविधान के अन्य उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों के बीच अंतर, 84
मूल अधिकारों की संशोधनीयता, आधारिक लक्षण, 84
मूल अधिकारों का वर्गीकरण, 85
संपत्ति के अधिकार का लोप, 86
मूल अधिकार – राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध प्रत्याभूति, 87
अनुच्छेद 14 : विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, 88
विधि के समक्ष समता, 88
विधि का समान संरक्षण, 89
अनुच्छेद 14 और 16 में संबंध, 91
अनुच्छेद 15 : धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद
का प्रतिषेध, 91
अनुच्छेद 16 : लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, 92
मंडल आयोग का मामला, 94
अनुच्छेद 17 : अस्पृश्यता का अंत, 95
अनुच्छेद 18 : उपाधियों का अंत, 96
अनुच्छेद 19 : छह स्वतंत्रताएं, 97
स्वतंत्रताओं की परिसीमाएं, 98
न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रविषय, 99
युक्तियुक्त निर्बन्धन का परीक्षण, 100
अधिष्ठायी और प्रक्रिया की युक्तियुक्तता, 101
प्रेस स्वातंत्र्य, 101
सेंसर, 103
अनुच्छेद 20 : अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, 104
घटना के पश्चात् विधान का प्रतिषेध, 104
दोहरे अभियोजन और दंड से उन्मुक्ति, 105
अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किए जाने के विरुद्ध
उन्मुक्ति, 105
अनुच्छेद 21 : दैहिक स्वतंत्रता, 106
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, 106
I. गोपालन का मत, 107
II. *मेनका* बनाम *भारत संघ*, 107
मनमानी गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, 108
अनुच्छेद 22 : निवारक निरोध, 108
निवारक निरोध का अर्थ, 109
भारत में निवारक निरोध का इतिहास, 110
निवारक निरोध अधिनियम बनाने की विधायी शक्ति, 111
अनुच्छेद 23 : शोषण के विरुद्ध अधिकार, 112
मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, 112
अनुच्छेद 24 : कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, 112

Scanned by TapScanner

अनुच्छेद 25-28 अंतःकरण की और धर्म के स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, 113
प्रचार और संपरिवर्तन, 115
अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा, 116
अनुच्छेद 29, 117
अनुच्छेद 30, 117
संविधान के अधीन संपत्ति के अधिकार का इतिहास, 118
I 1949 का संविधान, 118
II. 1976 के 42वें अधिनियम तक के संशोधन, 119
25वां संशोधन, 119
III. 42वां संशोधन अधिनियम, 1976, 121
IV. 44वां संशोधन अधिनियम, 1978, 121
संपत्ति के अधिकार का अवशेष और उस पर टिप्पणी, 122
अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सांविधानिक उपचार, 123
अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता का वैशिष्ट्य, 124
परमाधिकार रिटें, 125
रिट निकालने की उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता में अंतर, 125
उच्चतम न्यायालय : मूल अधिकारों का संरक्षक, 125
रिटों का प्रविषय :
I. बंदी प्रत्यक्षीकरण, 127
II. परमादेश, 128
III. प्रतिषेध, 129
IV. उत्प्रेषण, 130
V. अधिकार-पृच्छा, 131
संसद् की मूल अधिकारों को उपांतरित या निर्बन्धित करने की शक्ति, 131
आपात की उद्घोषणा के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, 132
44वां संशोधन अधिनियम, 1978, 133
मूल अधिकारों के अपवाद, 133
मूल कर्तव्य, 133
सामासिक संस्कृति, 134
मूल कर्तव्यों का प्रवर्तन, 134

9. राज्य की नीति के निदेशक तत्व 141-150

निदेशों का वर्गीकरण, 141
निदेशों का प्रविषय, 141
कल्पित आर्थिक लोकतंत्र की प्रकृति, 141
समाज का समाजवादी ढांचा, 141
समूहवाद की ओर झुकाव, 142
42वां संशोधन, 142
44वां संशोधन, 142
निदेशों की मूल अधिकारों से तुलना, 142
न्यायिक प्रवर्तनीयता, 143
मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में विरोध, 143
निदेशों के पीछे अधिशास्ति, 144
क्या अनुच्छेद 355, 365, निदेशों का राज्यों द्वारा क्रियान्वयन कराने को लागू किए जा सकते हैं, 144
निदेशों की उपयोगिता, 144
42वें और 44वें संशोधन, 145
निदेशों का अनुपालन, 147
संविधान के अन्य भागों में दिए गए निदेश, 148

Scanned by TapScanner

10. संशोधन की प्रक्रिया 151-161
संशोधन प्रक्रिया की प्रकृति, 151
संशोधन की प्रक्रिया, 151
संशोधन प्रक्रिया के साधारण लक्षण, 152
संविधान संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं, 153
राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए आबद्धकर, 153
क्या भाग 3 या कोई अन्य भाग ऐसा है जिसका संशोधन नहीं हो सकता, 154
मूल अधिकारों का संशोधन हो सकता है, 154
आधारिक लक्षणों का संशोधन नहीं हो सकता, 155
अनुच्छेद 368 का उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वचन, 156
आधारिक लक्षणों की सूची, 156
1950 से संविधान संशोधनों का इतिहास, 157
43वें और 44वें संशोधन, 158
73वां और 74वां संशोधन, 159
बार-बार संशोधन के खतरे, 159

भाग 2
संघ का शासन

11. संघ की कार्यपालिका 165-198

1. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 165
राष्ट्रपति का निर्वाचन, 165
राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता, 165
राष्ट्रपति की पदावधि, 166
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, 166
राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, 166
राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते, 166
राष्ट्रपति के पद में रिक्ति, 167
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, 167
क्या किसी विधान मंडल का सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हो सकता है, 168
उपराष्ट्रपति की पदावधि, 168
उपराष्ट्रपति के कृत्य, 168
उपलब्धियां, 169
राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में या उससे संबद्ध शंकाएं और विवाद, 169
2. राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य, 169
राष्ट्रपति की शक्तियों की प्रकृति, 169
राष्ट्रपति की शक्ति पर सांविधानिक बंधन, 170
42वां संशोधन, 170
44वां संशोधन, 170
पद पुरस्कार पद्धति, 172
संघ विधान पर वीटो, 175
वीटो शक्ति की प्रकृति, 175
भारत में, 177
राज्य विधान का अननुज्ञात किया जाना, 178
अध्यादेश की शक्ति के दुरुपयोग की संभावना, 180
38वां संशोधन, 180

Scanned by TapScanner

44वां संशोधन, 181
संसदीय रक्षोपाय, 181
राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति की तुलना, 182
नियम बनाने की शक्ति, 183

3. **मंत्रिपरिषद्**, 185
संविधान द्वारा मान्य निकाय, 185
मंत्रियों की नियुक्ति, 185
मंत्रिपरिषद् और मंत्रिमंडल, 185
मंत्रियों के संबलम, 186
संसद् के प्रति मंत्रियों का दायित्व, 187
सामूहिक उत्तरदायित्व, 187
राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, 187
विधिक उत्तरदायित्व, 187
मंत्रिपरिषद् में प्रधान मंत्री का विशेष स्थान, 188

4. **राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद् का संबंध**, 189
भारत के राष्ट्रपति की अमेरिकी राष्ट्रपति और इंग्लैंड के सम्राट से तुलना, 189
भारत में राष्ट्रपति की प्रास्थिति, 190
42वां संशोधन, 190
43वां और 44वां संशोधन, 191

5. **भारत का महान्यायवादी**, 191

6. **भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**, 192
सेवा की शर्तें, 192
कृत्य और शक्तियां, 193
समकक्ष ब्रिटिश पदधारी से तुलना, 194

12. **संघ का विधान मंडल** 199-222
संसद् के कृत्य, 199
संसद् का गठन, 200
राज्य सभा का गठन, 200
लोक सभा का गठन, 201
लोक सभा के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, 201
राज्य सभा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, 201
लोक सभा और विधान सभा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं अपनाया गया, 202
संसद् के सदनों की अवधि, 202
संसद् का सत्र, 203
स्थगन, सत्रावसान और विघटन, 203
संसद् के सदस्यों की अर्हताएं, 204
सदस्यता के लिए निरर्हताएं, 204
सदस्यों द्वारा स्थान की रिक्ति, 205
संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते, 205
संसद् के अधिकारी, 205
अध्यक्ष, 205
अध्यक्ष की शक्तियां, 206
उपाध्यक्ष, 206
सभापति, 206
संसद् और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, 207

Scanned by TapScanner

विशेषाधिकारों का वर्गीकरण, 207
विधायी प्रक्रिया, 209
i. साधारण विधेयक, 209
ii. धन विधेयक, 210
धन विधेयक और वित्त विधेयक, 212
दोनों सदनों के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए उपबंध, 213
संयुक्त बैठक की प्रक्रिया, 213
संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, 214
संसद् में वित्तीय विधायन, 214
बजट में नीति का वक्तव्य, 214
व्यय जिस पर मतदान होगा या नहीं होगा, 215
भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, 215
वित्तीय विधायन में दोनों सदनों की तुलनात्मक भूमिका, 216
वित्तीय प्रणाली पर संसद् का नियंत्रण, 216
प्राक्कलन समिति, 217
लोक लेखा समिति, 218
भारत की संचित निधि, 218
भारत का लोक लेखा, 218
भारत की आकस्मिकता निधि, 218
लोक सभा की तुलना में राज्य सभा की सांविधानिक स्थिति, 219

भाग 3

राज्यों का शासन

13. राज्य की कार्यपालिका 225–234

1. साधारण संरचना, 225

2. राज्यपाल, 225
राज्यपाल की नियुक्ति और उसकी पदावधि, 225
नियुक्त राज्यपाल क्यों, 226
नियुक्त राज्यपाल की अब तक की प्रास्थिति, 227
राज्यपाल के पद की शर्तें, 227
राज्यपाल की शक्तियां, 228

3. मंत्रिपरिषद्, 229
मंत्रिपरिषद् की नियुक्ति, 229
राज्यपाल और उसके मंत्रियों के बीच संबंध, 229
राज्यपाल के विवेकाधीन कृत्य, 230
विशेष उत्तरदायित्व, 230
कुछ विषयों में व्यवहार में स्वविवेक, 230
राज्यपाल पर राष्ट्रपति का नियंत्रण, 231
क्या राज्यपाल मुख्य मंत्री को पदच्युत कर सकता है, 231
बहुमत के समर्थन का परीक्षण, 232

4. महाधिवक्ता, 233

14. राज्य विधान मंडल 235-250
द्विसदनीय और एक-सदनीय राज्य, 235
राज्यों में दूसरे सदन का सृजन और उत्सादन, 235
विधान परिषद् की संरचना, 235
विधान सभा की संरचना, 236
विधान सभा की अवधि, 236

Scanned by TapScanner

विधान परिषद् की अवधि, 237
राज्य के विधान मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता, 237
सदस्यता के लिए निरर्हताएं, 237
द्विसदनीय विधान मंडल वाले राज्यों की विधायी प्रक्रिया की संसद् से तुलना, 238
राज्य परिषद् से विधान परिषद् की तुलना, 238
दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए उपबंध, 238
संसद् और राज्य विधान मंडल में प्रक्रिया की तुलना, 239
राज्य में द्वितीय सदन की उपयोगिता, 242
राज्यपाल की वीटो की शक्ति, 243
राज्यपाल और राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों की तुलना, 243
राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति, 245
राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति की तुलना, 245
राज्य विधान मंडल के विशेषाधिकार, 247
1950 के बाद जोड़े गए नए राज्य, 247
आंध्र प्रदेश, 247
गुजरात, 248
केरल, 248
महाराष्ट्र, 248
नागालैंड, 248
हरियाणा, 248
कर्नाटक, 248
हिमाचल प्रदेश, 248
मणिपुर और त्रिपुरा, 248
मेघालय, 248
सिक्किम, 248
मिजोरम, 248
अरुणाचल प्रदेश, 248
गोवा, 248

15. जम्मू-कश्मीर राज्य 251-260

राज्य की अनोखी स्थिति, 251
जम्मू-कंश्मीर राज्य के भारत में सम्मिलन का इतिहास, 251
भारत के मूल संविधान के अधीन राज्य की स्थिति, 251
अंगीकार करने के परिणाम, 252
संविधान के वे अनुच्छेद जो राज्य को स्वयमेव लागू होते हैं, 252
1950 का संविधान आदेश, 253
पश्चात्वर्ती आदेश, 253
राज्य के संविधान का निर्माण, 253
राज्य के संविधान के महत्वपूर्ण उपबंध, 254
1975 का इंदिरा-अब्दुल्ला करार, 256
जम्मू-कश्मीर की संघ के संबंध में सांविधानिक स्थिति, 257

भाग 4

संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन

16. संघ राज्यक्षेत्र और अर्जित राज्यक्षेत्रों का प्रशासन 263-265

संघ राज्यक्षेत्रों का उद्भव, 263
संघ राज्यक्षेत्र, 263
प्रशासक, 264
विधान सभा और मंत्रिपरिषद् के लिए उपबंध, 264
विधायी शक्ति, 264

Scanned by TapScanner

भाग 8
परिसंघ प्रणाली

24. विधायी और कार्यपालिका शक्तियों का वितरण 311-317

संघ की प्रकृति, 311
विधायी शक्ति के वितरण की स्कीम, 311
संघ और राज्य के विधान मंडल का राज्यक्षेत्रीय विस्तार, 312
संसद् की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता की परिसीमाएं, 312
विधायी विषयों का वितरण, 313
अवशिष्ट शक्तियां, 313
विभिन्न परिस्थितियों में संघ की विधायी शक्ति का विस्तार, 314
विधायी सूचियों का निर्वचन, 315
कार्यपालिका शक्ति का वितरण, 315

25. वित्तीय शक्तियों का वितरण 318-326

वित्तीय संसाधनों के वितरण की आवश्यकता, 318
कर राजस्व के वितरण के सिद्धांत, 318
कर उद्ग्रहण करने की विधायी शक्तियों का वितरण, 319
(क) वृत्ति-कर, 319
(ख) विक्रय-कर, 319
(ग) विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर, 320
(घ) संघ और राज्य की संपत्तियों पर परस्पर कराधान से छूट, 320
कर आगमों का वितरण, 320
कर भिन्न राजस्व का वितरण, 322
सहायता अनुदान, 322
वित्त आयोग का गठन और उसके कृत्य, 322
पहला वित्त आयोग, 323
दूसरा वित्त आयोग, 323
तीसरा वित्त आयोग, 323
चौथा वित्त आयोग, 323
पांचवां वित्त आयोग, 323
छठा वित्त आयोग, 323
सातवां वित्त आयोग, 323
आठवां वित्त आयोग, 323
नवां वित्त आयोग, 324
दसवां वित्त आयोग, 324
करों की हिस्सेदारी में राज्यों के हितों का संरक्षण, 324
आपात में संघ द्वारा वित्तीय नियंत्रण, 324
संघ और राज्य की उधार लेने की शक्ति, 325
राज्यों द्वारा अधिक वित्तीय शक्ति की मांग, 325

26. संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध 327-334

परिसंघ की इकाइयों के बीच समन्वय की आवश्यकता, 327
राज्य सरकारों को संघ द्वारा निर्देश, 328
निदेशों के प्रवर्तन के लिए अधिशास्ति, 328
कृत्यों का प्रत्यायोजन, 328
अखिल भारतीय सेवाएं, 328

Scanned by TapScanner

सहायता अनुदान, 329
अंतरराज्य परिषद्, 329
अंतरराज्य वाणिज्य आयोग, 330
अखिल भारतीय समस्याओं को सुलझाने के लिए संविधानेतर अभिकरण, 330
योजना आयोग, 330
राष्ट्रीय विकास परिषद्, 331
राष्ट्रीय एकता परिषद्, 332
कृत्यों का पारस्परिक प्रत्याशोजन, 333
परिसंघ प्रणाली के उचित कार्यकरण के लिए पारस्परिक उन्मुक्ति की आवश्यकता, 333
संघ की संपत्ति को राज्य के करों से छूट, 333
राज्य की संपत्ति और आय को संघ के करों से छूट, 333

27. अंतरराज्य संबंध 335-339
अंतरराज्य सौहार्द, 335
पूरा विश्वास और मान्यता, 335
विवादों का निवारण और निपटारा, 335
अंतरराज्य परिषद्, 336
(क) क्षेत्रीय परिषद्, 336
(ख) नदी बोर्ड, 337
जल विवाद अधिकरण, 337
व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की आवश्यकता, 337
अनुच्छेद 19(1)(छ) और 301 के अधीन स्वतंत्रताएं, 338

28. आपात उपबंध 340-350
विभिन्न प्रकार के आपात, 340
42वें और 44वें संशोधन, 340
अ. आपात की उद्घोषणा, 340
उद्घोषणा किस प्रकार समाप्त होगी, 341
आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, 342
आपात शक्ति के उपयोग, 343
आंतरिक अशांति अब आपात का आधार नहीं है, 344
आ. राज्य में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की उद्घोषणा, 344
अवधि को एक वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए शर्तें, 345
न्यायिक पुनर्विलोकन, 345
अनुच्छेद 352 और 356 की तुलना, 345
शक्ति का उपयोग, 346
अनुच्छेद 356 के अधीन इस शक्ति का बार-बार और अनुचित उपयोग गर्हित है, 346
अनुच्छेद 356 के अधीन शक्ति का प्रयोग यदा-कदा ही होना चाहिए, 347
राष्ट्रपति अनुच्छेद 356(1)(क), (ख) और (ग) के अधीन अनुत्क्रमणीय पग नहीं उठाएं, 347
न्यायालय की यथापूर्वस्थिति वापस लाने की शक्ति, 347
उन मामलों के उदाहरण जिनमें अनुच्छेद 356 का प्रयोग उचित नहीं होगा, 347
उपयोग के उचित अवसरों का सुझाव, 348
44वें संशोधन का अनुच्छेद 356 पर प्रभाव, 348
वित्तीय आपात की उद्घोषणा, 349

Scanned by TapScanner

भाग 9
प्रकीर्ण

29. सरकार और लोक सेवको के अधिकार और दायित्व 353-360
संघ और राज्यों की संपत्ति, 353
व्यापार करने की शक्ति, 354
धन उधार लेने की शक्ति, 354
सरकारी संविदाओं के लिए औपचारिकताएं, 354
संघ और राज्य के विरुद्ध वाद, 355
I. वाद लाने का अधिकार, 355
II. वाद के प्रति दायित्व, 355
राज्य के प्रधान के विरुद्ध वाद, 357
राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने शासकीय कृत्य के लिए उन्मुक्ति, 357
मंत्रियों की स्थिति, 358
पदावधि के दौरान व्यक्तिगत कार्य, 358
लोक अधिकारियों की वाद-शक्यता, 358

30. सेवाएं और लोक सेवा आयोग 361-374
संसदीय शासन तंत्र में सिविल सेवकों की स्थिति, 361
विषय जिनके विनियमन की आवश्यकता है, 362
सेवा की शर्त विहित करने की शक्ति, 362
पदावधि, 363
प्रसादपर्यन्त सेवा, 363
संविदा द्वारा मर्यादित नहीं किया जा सकता, 363
प्रसाद के प्रयोग की मर्यादाएं, 363
कुछ उच्च अधिकारियों के मामले में अपवाद, 364
सिविल सेवकों के लिए रक्षोपाय, 364
किन मामलों में अवसर दिया जाना चाहिए, 365
पदच्युति, हटाया जाना और पंक्ति में अवनति क्या है, 365
अवसर देने की अपेक्षा के अपवाद, 366
संविधान के अनुच्छेद 323क और प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985, 367
संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, 367
सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, 368
आयोग की स्वतंत्रता, 368
आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध, 369
लोक सेवा आयोगों के कृत्य, 369
लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन, 371
कहां तक आयोग की सलाह सरकार पर आबद्धकर है, 371
अखिल भारतीय सेवाएं, 372
सिविल सेवकों के मूल अधिकार, 373

31. निर्वाचन 375-377
निर्वाचन, 375
विधान मंडल की शक्ति, 375
एक सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, 375
सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवादों का विनिश्चय, 376

Scanned by TapScanner

42वां संशोधन—निर्वाचन अधिकरणों की स्थापना, 376
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और लोक सभा के अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों के लिए विशेष अधिकारिता, 376
निर्वाचन आयोग, 376

32. अल्पसंख्यक, अनुसूचित जातियां और जनजातियां 378-386
अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए उपबंध, 378
धार्मिक स्वतंत्रता, 379
भाषिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्रत्याभूति, 379
मातृ-भाषा में शिक्षा की सुविधाएं, 380
भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, 380
राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में विभेद का न होना, 380
अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, 381
शिक्षा संस्थाओं को राज्य की सहायता देने में विभेद न किया जाना, 381
लोक नियोजन में विभेद नहीं, 382
अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उद्धार के लिए उपबंध, 382
अनुसूचित जातियां और जनजातियां, 382
क. अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष उपबंध, 383
ख. साधारणतः पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध, 384
आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध, 385

33. भाषाएं 387-394
राजभाषा की आवश्यकता, 387
राजभाषा, 387
अ. संघ की, 388
राजभाषा आयोग, 388
राजभाषा आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन, 388
दो न्यायी आयोग, 389
आ. अंतरराज्यीय पत्रादि की भाषा, 390
इ. राज्य की राजभाषा, 390
ई. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, 390
प्राधिकृत पाठ (केंद्रीय विधि) अधिनियम, 1973, 391
अनुच्छेद 394क, 391
राजभाषा अधिनियम, 1963, 391
भाषा के बारे में विशेष निदेश, 392
संस्कृत की उपेक्षा, 392
अनुच्छेद 27 और 351 का उल्लंघन, 392

34. कार्य रूप में संविधान 395-426
संविधान में अनेकों संशोधन, 395
42वें से 44वें संशोधनों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन, 396
संविधान में टुकड़े-टुकड़े संशोधन के स्थान पर उसका पुनरीक्षण किया जाना, 397
अ. अभिसमयों का संहिताकरण, 397
आ. विधान मंडलों के विशेषाधिकारों का संहिताकरण, 398
निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन, 398
ऐकिक प्रणाली की ओर झुकाव, 398
पृथक्तावादी शक्तियां, 399

Scanned by TapScanner

सिख, 400
असमिया, 401
बांग्लादेश से घुसपैठियों की समस्या, 402
पृथकतावादी शक्तियों के रूप में भाषा, 402
राज्यों में वित्तीय असमानता, 403
न्यायिक पुनर्विलोकन, 404
संविधान के पुनरीक्षण की आवश्यकता, 405
हमारे संविधान के अधीन न्यायपालिका की भूमिका, 405
न्यायिक पुनर्विलोकन के नूतन सिद्धांत : न्यायिक सक्रियता, 406
अल्पसंख्यकों की मांग से खतरनाक राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियां, 406
हिंदू धर्म से अन्य धर्मों में संपरिवर्तित लोगों के दावे, 409
भारत में अन्तरराष्ट्रीय अर्थ में कोई अल्पसंख्यक समस्या नहीं है, 411
मातृभूमि का अनादर, 412
राष्ट्रीय भावना का अभाव, 414
संसदीय लोकतंत्र की असफलता, 415
युवा मतदाताओं की नई पीढ़ी, 415
"पंथ निरपेक्षता" के वास्तविक अर्थ का विवाद, 417
अस्थिर सरकार और अल्पमत के दल का शासन, 417
राष्ट्रपतीय प्रणाली समस्या का हल नहीं है, 418

सारणियाँ 427-479

सारणी 1: आरंभिक तथ्य, 427
सारणी 2: भारत की संविधान सभा की राज्यवार सदस्य संख्या (31 दिसम्बर, 1947 को यथाविद्यमान), 428
सारणी 3: भारत का राज्यक्षेत्र, 429
सारणी 4: संविधान संशोधन अधिनियम, 431
सारणी 5: मूल अधिकार, 448
सारणी 6: राज्य की नीति के निदेशक तत्व, 449
सारणी 7: नागरिकों के मूल कर्तव्य, 450
सारणी 8: संघ का शासन, 451
सारणी 9: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों की तुलना, 452
सारणी 10: अ. भारत के राष्ट्रपति, 453
आ. भारत के उपराष्ट्रपति, 454
इ. भारत के प्रधान मंत्री, 455
सारणी 11: राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का राज्य सभा में प्रतिनिधित्व (अप्रैल, 1997 को यथाविद्यमान), 456
सारणी 12: लोक सभा में स्थानों का आवंटन, 457
सारणी 13: लोक सभा और उसके अध्यक्ष, 458
सारणी 14: राज्यों का शासन, 459
सारणी 15: विधान सभा और विधान परिषद् की सदस्य संख्या (अप्रैल, 1997), 460
सारणी 16: न्यायपालिका, 461
सारणी 17: उच्च न्यायालय — अधिकारिता और अवस्थान, 462
सारणी 18: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की न्यायपीठों की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता, 463
सारणी 19: विधायी शक्तियों का वितरण, 464
सारणी 20: भाषाएं, 476
सारणी 21: राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन, 477

अनुक्रमणिका 481-497

Scanned by TapScanner